संख्या 11/4/2018-VS (सीआरएस)/152

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA
गृह मंत्रालय
MINISTRY OF HOME AFFAIRS
भारत के महारजिस्ट्रार का कार्यालय
OFFICE OF THE REGISTRAR GENERAL, INDIA

जीवनांक प्रभाग, नागरिक पंजीयन योजना 2-ए मानसिंह रोड, नई दिल्ली - 110011
V.S. Division, Civil Registration System, 2-A, Mansingh Road, New Delhi - 110011
ई-मेल : rgi.rgi@nic.in drg-crs.rgi@nic.in manojISS9.rgi@nic.in

दिनांक - 12-06-2018

परिपत्र

सेवा मे,

समस्त मुख्य रजिस्ट्रार जन्म एवं मृत्यु

विषय :- मतदाता सूची से मृत मतदाताओं के नाम हटाए जाने के संदर्भ में।

उप निर्वाचन आयुक्त, भारत निर्वाचन आयोग का एक अर्द्ध शासकीय पत्र दिनांकित 8 मई, 2018 इस कार्यालय को प्राप्त हुआ है जिसके द्वारा मतदाता सूची से मृत मतदाताओं के नाम हटाए जाने के लिए मासिक आधार पर पंजीकृत मृत्यु पर डाटा को साझा करने का विषय उठाया गया।

2. आप जानते ही होंगे कि इस कार्यालय द्वारा उक्त विषय पर विचार सन् 2003 & 2004 के दौरान किया गया तथा निर्वाचक पंजीकरण नियमावली 1960 के नियम 9 के तहत सभी राज्य सरकारों से अनुरोध किया गया है कि वे इस पर उचित कार्यवाही करें, जिसमें जन्म और मृत्यु के रजिस्ट्रार की ओर से मृत मतदाताओं से संबंधित जानकारी संबंधित निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी को वर्ष में कम से कम दो बार प्रस्तुत करना अनिवार्य है। इस संबंध में अनुस्मारक भी सभी राज्यों/केन्द्रशासित राज्यों को दिनांक 27 अप्रैल, 2004 और 24 मई, 2007 को जारी किया गया है।

3. उक्त के आलोक में, आपसे अनुरोध है कि आप सभी जिला रजिस्ट्रार और स्थानीय रजिस्ट्रार को संदर्भित मामले के अनुपालन हेतु अपने राज्य के जन्म और मृत्यु के सभी जिला पंजीयक और स्थानीय रजिस्ट्रार को आवश्यक निर्देश जारी करें और यह सुनिश्चित करें कि मृत्यु रजिस्टर से संबंधित डेटा क्षेत्रों की जानकारी जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रार द्वारा संबंधित निर्वाचक पंजीकरण कार्यालय को भेजी जाए । इस संबंध में की गई कार्यवाही की सूचना कृपया इस कार्यालय को दी जाए।

भवदीय,

(मनोज कुमार)
उप महारजिस्ट्रार (सीआरएस0

प्रत्येक जन्म एवम् मृत्यु का पंजीकरण सुनिश्चित करें।
"Ensure Registration of Every Birth and Death"